रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 669] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 20, 2018/भाद्र 29, 1940
No. 669] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 20, 2018/BHADRA 29, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2018

सा.का. नि. 905(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 396, धारा 398, धारा 399, धारा 403 और धारा 404 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) पांचवां संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में, उपाबंध में, क्रम संख्या VII में, 'टिप्पण' के लिए निम्नलिखित 'टिप्पण' रखा जाएगा, अर्थात् :-

"टिप्पण : वित्तीय वर्ष (2018-2019) के दौरान 21.09.2018 से 05.10.2018 तक पांच सौ रुपये की फीस देय होगी और 06.10.2018 को या इसके बाद पांच हज़ार रुपये की फीस देय होगी"।

[फा. सं. 01/16/2013 सीएल-V (पार्ट-I)]
के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम सा.का.नि. 268(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और उसके पश्चात् इसे निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया :–

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि. 297(अ)	28.04.2014
2.	सा.का.नि. 122(अ)	24.02.2015
3.	सा.का.नि. 438(अ)	29.05.2015
4.	सा.का.नि. 493(अ)	06.05.2016
5.	सा.का.नि. 48(अ)	20.01.2018
6.	सा.का.नि. 435(अ)	07.05.2018
7.	सा.का.नि. 616(अ)	05.07.2018
8.	सा.का.नि. 797(अ)	21.08.2018

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2018

G.S.R. 905(E).—In exercise of the powers conferred by sections 396, 398, 399, 403 and 404 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Registration Offices and Fees) Fifth Amendment Rules, 2018.

 (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, in the Annexure, in serial number VII, for the 'note' the following 'note' shall be substituted, namely:-

"Note**:** During the financial year (2018-2019), fee of rupees five hundred shall be payable from 21.09.2018 to 05.10.2018 and fee of rupees five thousand shall be payable on or after 06.10.2018".

[F. No. 01/16/2013 CL-V (Pt-I)]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Extra ordinary, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 268(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended by:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 297(E)	28-04-2014
2.	G.S.R. 122(E)	24-02-2015
3.	G.S.R. 438 (E)	29-05-2015
4.	G.S.R. 493(E)	06-05-2016
5.	G.S.R. 48(E)	20-01-2018
6.	G.S.R. 435(E)	07-05-2018
7.	G.S.R. 616 (E)	05-07-2018
8.	G.S.R. 797 (E)	21-08-2018

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2018.09.22 14:19:40 +05'30'